

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/1/2018/Admin./CIC/00363

Dated: 26.04.2018

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक २४.२०१८ का आवेदन इस अनुभाग में १७.४.२०१८ को कृष्ण अवतार तलवार, उपसचिव पंजीयक-उप/केंद्रीय रजिस्ट्री-१ से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/2/2018/Admin./CIC/00363 दिनांक 20.4.2018 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।


(सुशील कुमार)

उपसचिव एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: ,केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL


26/04/18



केन्द्रीय सूचना आयोग

Central Information Commission

बाबा गंगनाथ मार्ग , मुनिरका/Baba Gangnath Marg, Munirka

नई दिल्ली -110067/New Delhi -- 110067

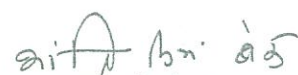
फा. सं. 3/3/2018./प्र./के.सू.आ

दिनांक: 25.04.2018

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री केतन रसिकलाल महेता के आर
टी आई आवेदन दिनांक 10.04.2018 के सन्दर्भ में।

आपके पत्र सं. 3/2/2018/Admin./CIC/00363 दिनांक 20.04.2018 के सन्दर्भ के सम्बन्ध में
वांक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

श्री केतन रसिकलाल महेता का सुझाव पत्र सं. 890 ब/2018 दिनांक 12.02.2018 आयोग में प्राप्त
हुआ है, जिसे आयोग की फाइल संख्या 40/04/2018/Admn/CIC में फाइल किया गया है।


(एस. पी. बेक)

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में,

उप सचिव (प्रशासन) & केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी।